

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

वैनिक विधायी सूची

बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 1999 (फल्गुन 26, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर किये जायेगे।

2. पत्रों का पठन पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-३-३२-९४-विक-पांच (७०), दिनांक 14 सितम्बर, 1998 पठन पर रखेगे।

3. नियम 138 (1) के आधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह, श्री नरेन्द्र बिरथरे तथा राव देशराज सिंह घावव, सदस्य, शिवपुरी जिले के बैराड पुलिस कर्मियों द्वारा डैक्ट के बजाय एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा तथा श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

- (क) पृथ्वीपुर नगर में महाविद्यालय भवन बनाये जाने,
- (ख) ग्राम टीला से गिरकिनी तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
- (ग) गोरा-कुल्लुआ मार्ग के नालों पर पुलिया बनाये जाने,

(2) श्री बृजराज सिंह चौहान, सदस्य, श्योपुर जिले के पार्वती नदी पर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम की स्वीकृति दिलाये जाने,

(3) श्री बंशीलाल जाटव, सदस्य, भिण्ड जिले के -

- (क) ग्राम चिरावली के मजरा फूलबाग में बिजली लगाये जाने, तथा
- (ख) ग्राम महुआ में बिजली लगाये जाने, तथा

(4) श्री हीराचन्द चन्देलकर, सदस्य, बैतूल जिले के आमला नगर में -

- (क) महाविद्यालय का उच्चयन किये जाने,
- (ख) तहसील कार्यालय भवन बनाये जाने, तथा
- (ग) कृषि उपज मंडी भवन बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेगे।

5. वक्तव्य

(1) श्री रत्नेश सौलोमन, वन मंत्री, दिनांक 10 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 285) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

(2) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, जल संसाधन मंत्री, दिनांक 24 फरवरी, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 2978) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

६. शासकीय विधि विभाग कर्त्तव्य

(1) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक ९ सन् १९९९) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(2) श्री अच्युत मुशाराम, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (व्याधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 1999 (क्रमांक १० सन् १९९९) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

७. वर्ष 1999-2000 की अनुमतियों की मात्रों पर मतदान (क्रमशः)	
<u>निर्धारित समय</u>	
२ घन्टे	(1) मांग संख्या 25 मांग संख्या 44 मांग संख्या 47 मांग संख्या 70
२ घन्टे	(2) मांग संख्या 12
३ घन्टे	(3) मांग संख्या 22 मांग संख्या 69 मांग संख्या 81 मांग संख्या 83 मांग संख्या 85
३ घन्टे	(4) मांग संख्या 26 मांग संख्या 30 मांग संख्या 37 मांग संख्या 80 मांग संख्या 82 मांग संख्या 84 मांग संख्या 86
	<p>खानिज साधन विभाग से संबंधित व्यय उच्चव शिक्षा जनशक्ति नियोजन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं</p> <p>ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय</p> <p>नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता</p> <p>संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय पर्यटन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं</p>

भोपाल :
दिनांक : १८ मार्च, 1999

के.पी. शिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.